

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 20/11/2020

—: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के 21 जिलों में आम चुनाव अक्टूबर - दिसम्बर, 2020 में करवाये जा रहे हैं। (प्रति संलग्न है) मतदान चार चरणों में सम्पन्न होगा। अतः प्रथम चरण मतदान दिवस दिनांक 23.11.2020 (सोमवार) द्वितीय चरण मतदान दिवस दिनांक 27.11.2020 (शुक्रवार), तृतीय चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार) चतुर्थ चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार), सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(अ) मोहन लाल यादव
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraja@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./2020/10108

दिनांक : 20/11/2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत), अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव